न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–2, झाँसी।

सत्र वाद संख्या–1346/2025

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजय भार्गव आदि

मु०अ०सं०–55/2025

धारा–318(4),316(5),111(2)(बी), 351(3) बी०एन०एस०

थाना–नवाबाद, जिला–झांसी।

दिनांक–06.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज संख्या–9 बी पर पक्षकारों को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आदेशार्थ नियत है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अजय भार्गव आदि की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं०–9 बी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि– वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र बिना अभियोजन स्वीकृति के योजित किया गया। वर्तमान प्रकरण में चूंकि धारा 338 बी०एन०एस० भी है, निःसंदेह आजीवन कारावास से दण्डिक प्रकरण है। बिना अभियोजन स्वीकृति के आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष योजित किया गया है, जिससे न ही केवल आवेदक के मौलिक अधिकार जैसे कि निष्पक्ष विवेचना आदि का हनन होने के साथ –साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं०–6539/2020 रामशंकर मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व छः अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.08.2021 के साथ–साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुभाष चन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.05.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र योजित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं०–6539/2020 रामशंकर मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व छः अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.08.2021 के द्वारा पुलिस नियमावली के नियम 122 के उपनियम 3 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि समस्त पुलिस रिपोर्ट जरिए पुलिस अधीक्षक न्यायालय में योजित की जायेगी। प्रत्येक विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व विवेचक द्वारा क्षेत्राधिकारी के माध्यम से केस डायरी जनपदीय अभियोजन कार्यालय में प्रेषित की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका सं० –12482/2024 सुभाष चन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 12.05.2025 के प्रस्तर 33 में पुनः अभियोजन स्वीकृति की महत्वता एवं आजीवन कारावास के प्रकरण में जो प्रक्रिया अपनायी जानी है, के सम्बन्ध में न ही केवल पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है, साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र डी०जी० /परिपत्र नं०–06/2018 दिनांकित 19.02.2018 का हवाला देते हुए उसमें दिये गये निर्देशों का प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है। यदि बिना अभियोजन स्वीकृति के आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष भेज भी दिया गया है तो न्यायालय की जिम्मेदारी है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित करें। बिना अभियोजन स्वीकृति के वर्तमान प्रकरण का आरोप पत्र न्यायालय में लिया जाना एवं उस पर प्रसंज्ञान होना माननीय उच्च/उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुपालन में आदेश पारित किये जाने की याचना की गई है।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से समर्थन में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस . रिट पिटीशन सं०–6539/2020 रमा शंकर मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व छः अन्य में पारित आदेश दिनांकित 17.08.2021 की प्रति, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 दं०प्र०सं० संख्या–12482/2024 सुभाष चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांकित 12.05.2025 की प्रति, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जारी डी०जी० परिपत्र

संख्या–06/2018 दिनांकित 19.02.2018 तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका सं०–946/2025 मेघा रायकवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व चार अन्य में पारित आदेश दिनांकित 03.06.2026 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मात्र वाद को लम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

5. प्रार्थना पत्र कागज सं० –9 बी के माध्यम से मुख्य रूप से न्यायालय का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा महानिदेशक अभियोजन, उ०प्र० को समय–समय पर जारी निर्देशों की ओर आकृष्ट कराया गया है। उक्त निर्देशों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोप पत्र को दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में बरती जाने वाली सावधानियां तथा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये जाने की रीति सम्बन्धित आदेश पारित किये गये हैं। साथ ही साथ उक्त आदेश व निर्देशों की अवहेलना होने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रथम दृष्टया कृतव्यहीनता का दोषी पाये जाने का भी आदेश पारित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर विद्वान प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 14.05.2025 को प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है। अभियुक्त के पास प्रसंज्ञान के स्तर पर यह विकल्प उपलब्ध था कि वह न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में हुई कथित कमियों को प्रस्तुत करता, परन्तु अभियुक्त द्वारा प्रसंज्ञान के स्तर पर ऐसी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई तथा विद्वान प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा केस डायरी तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किये जाने के पश्चात प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात अभियुक्त को नकलें प्रदान किये जाने के उपरान्त पत्रावली सत्र सुपुर्द किये जाने का आदेश दिनांक 18.08.2025 को पारित किया गया। सत्र सुपुर्दगी के स्तर पर अभियुक्त द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में हुई कथित कमियों के बाबत ना तो कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और ना ही कोई मौखिक आपत्ति की गई।

6. यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश दाण्डिक न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जारी किये गये है। साथ ही साथ उक्त निर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का भी आदेश पारित किया है, परन्तु यदि उक्त दिशा निर्देशों में किसी प्रकार की कोई अनियमितता बरती जाती है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण मामला न तो दूषित हो जाता है और न ही इस आधार पर खण्डित किया जा सकता है।

7. पत्रावली विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्द की जा चुकी है तथा पत्रावली आरोप विरचन के स्तर पर लम्बित है। इस स्तर पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियां बलहीन होने के कारण पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अजय भार्गव आदि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं०–9 बी तदनुसार निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आरोप विरचन/बहस दिनांक 20.07.2026 को पेश हो।

(देवाशीष)

दिनांक–06.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–2,
झाँसी।